



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-12/2016-1460

दिनांक : 25.11.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बॉस गैबियन एवं रैखिक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 580.480 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 30/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.09.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 60/आ0 व0प0 दिनांक 08.09.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 580.480 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601796590103	317.397
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796590323	263.083
कुल :-		580.480

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19P240601796590103 तथा पी0 19P240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा स्थल विशेष योजना तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए इस कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

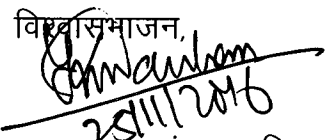
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधे वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सड़क किनारे किये जाने वाले वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य से संबंधित स्थलों का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर ही कार्य सम्पादित किया जाय।

17. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वसिभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधे वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सड़क किनारे किये जाने वाले वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य से संबंधित स्थलों का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर ही कार्य सम्पादित किया जाय।

17. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

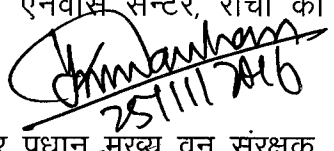


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016-1460 दिनांक- 25.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र-राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र-जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


25/11/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-12 / 2016-1460 दिनांक- 25.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र-राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र-जमशेदपुर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ह0 / -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-12 / 2016-1460 दिनांक- 25.11.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़ / लातेहार / लोहरदगा / गुमला / खूँटी / डोरण्डा, राँची / सिमडेगा / जमशेदपुर / सरायकेला-खरसावां / चाईबासा / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी- पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 254.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	बाँस गैबियन (संख्या में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			458.73	378.40	837.13
i	ii	iii	vi	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	1500	6.881	5.676	12.557
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	3000	13.762	11.352	25.114
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल साहेबगंज	3500	16.055	13.244	29.299
4	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1500	6.881	5.676	12.557
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	3200	14.679	12.109	26.788
6	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	3200	14.679	12.109	26.788
7	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	3353	15.382	12.687	28.069
8	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	2500	11.468	9.460	20.928
9	राँची वन प्रमण्डल, राँची	7000	32.111	26.488	58.599
10	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	3500	16.056	13.244	29.300
11	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	6000	27.524	22.704	50.228
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	4000	18.349	15.136	33.485
13	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	4000	18.349	15.136	33.485
14	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	9.175	7.568	16.743
15	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	9.175	7.568	16.743
16	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	4.587	3.784	8.371
17	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	6000	27.524	22.704	50.228
18	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	3000	13.762	11.352	25.114
योग :-		60253	276.399	227.997	504.396

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी- पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			409978.50	350865.20	760843.70
i	ii	iii	vi	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	20.499	17.543	38.042
2	जमशेदपुर वन प्रम०, जमशेदपुर	5	20.499	17.543	38.042
योग :-		10	40.998	35.086	76.084
सकल योग :-		60263	317.397	263.083	580.480

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

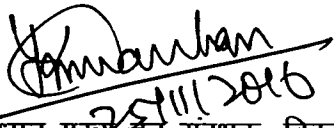
कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"
2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 221.61 रु० प्रति मानव दिवस						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रु. ; प्रति बाँस) ढुलाई सहित		0.00	0.00	240.00	240.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना		1.00	221.61	0.00	221.61	
ग	खूँटों की कोलतार / ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई		0.20	44.32	6.00	50.32	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई		0.30	66.48	90.00	156.48	
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गड़ों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.20	44.32	0.00	44.32	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना-4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)		0.20	44.32	15.00	59.32	
छ	जाफरी हेतु			0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2"x2"x2" आकार का गड़ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.17	37.67	0.00	37.67	
	योग		2.07	458.73	378.40	837.13	
(B)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 254.85 (वृद्धि 15%)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड़ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	38.23	20.00	58.23	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	25.49	2.00	27.49	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	38.23	4.50	42.73	
5	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)		0.50	127.43	25.00	152.43	
6	सुरक्षा		0.50	127.43	0.00	127.43	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	356.79	91.50	448.29	

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(C)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	43.96	4.50	48.46	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	146.54	5.00	151.54	
3	बॉस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	146.54	60.00	206.54	
	योग		1.15	337.04	69.50	406.54	
(D)	वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 337.04 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	50.56	4.50	55.06	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	168.52	5.00	173.52	
3	बॉस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	168.52	60.00	228.52	
	योग		1.15	387.60	69.50	457.10	
	कुल योग		5.77	1540.16	608.90	2149.06	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

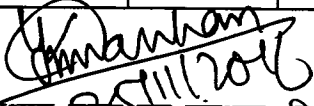
वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग { पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी-3 मी0
प्रति कि0मी0 पौधों की संख्या-2000 पौधे

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु0 में)	मजदूरी (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
क	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 221.61					
1	घेरान कार्य					
क	खूँटा 1550 सं0 60.42 रु0 प्रति खूँटा। खूँटे का आकार 100mm dia (व्यास) एवं 02 मी0 लम्बाई का।	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	93651.00	0.00	93651.00
ख	कंटीला तार 4point 2ply 12swg, 15cm apart 3.75 में0 टन, 64.32 रु0 प्रति कि0 ग्राम की दर से	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	241200.00	0.00	241200.00
ग	कोलतार (बीटुमीन पेन्ट) 100 ली0। 56.01 रु0 प्रति ली0 की दर से (खूँटों के लिए)	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	5601.00	0.00	5601.00
घ	यू-नेल 140 कि0 ग्रा0। 74.38 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	0.00	10413.20	0.00	10413.20
ड	खूँटा एवं तार की कार्य स्थल तक ढुलाई, खूँटा रंगाई, खूँटा लगाने के लिए गड़्ढा खोदना (1'x1'x1'), खूँटा लगाना, 05 कतार तार खींचना एवं यू-नेल लगाना।	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	1650.00	0.00	365656.50	365656.50
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 45cmx45cmx45cm आकार का गड़्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना, @ 0.10 मानव दिवस प्रति गड़्ढा	2000 गड़्ढा	200.00	0.00	44322.00	44322.00
	योग :-		1850.00	350865.20	409978.50	760843.70
ख	वित्तीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016-17 को आधार मानते हुए					
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित @ Rs. 20 प्रति पौधा	2200 पौधा	0.00	44000.00	0.00	44000.00
2	पौधा रोपण	प्रति कि0 मी0	45.00		11468.25	11468.25
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति कि0 मी0	50.00	0.00	12742.50	12742.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	120.00	0.00	30582.00	30582.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	3150.00	0.00	3150.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	300.00	0.00	300.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार		180.00	0.00	45873.00	45873.00
	योग :-		395.00	47450.00	100665.75	148115.75
ग	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	8206.24	8206.24
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	180.00	0.00	52754.40	52754.40
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	4000.00	1172.32	5172.32
	योग :-		212.00	5368.00	62132.96	67500.96

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
घ	वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 337.04 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति कि० मी०	28.00	0.00	9437.12	9437.12
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि० मी०	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	घेरान की मरम्मत (लगभग 10 प्रतिशत खूंटों के बदलाव एवं अन्य सामग्री सहित)	प्रति कि० मी०	0.00	10000.00	0.00	10000.00
4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति कि० मी०	90.00	0.00	30333.60	30333.60
	योग :-		118.00	11368.00	39770.72	51138.72
ड.	वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 387.60 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति कि० मी०	28.00	0.00	10852.80	10852.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि० मी०	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि० मी०	90.00	0.00	34884.00	34884.00
4	घेरान को हटाना एवं सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भण्डारण (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि० मी०	165.00	5000.00	63954.00	68954.00
	योग :-		283.00	6368.00	109690.80	116058.80
	सकल योग :-		2858.00	421419.20	722238.73	1143657.93


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-12/2015/1460

दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58648	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	688,100.00 रुपये छः लाख अठ्यासी हजार एक सैं
2	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58649	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,376,200.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार दो सैं
3	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58650	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,605,500.00 रुपये सोलह लाख पाँच हजार पाँच सैं

योग: 3,669,800.00

क्रमिक योग: रुपये छत्तीस लाख उनहत्तर हजार आठ सैं


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-12/2015/1460

दिनांक - 25-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58651	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	688,100.00 रुपये छः लाख अठ्यासी हजार एक सैं
5	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58652	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	1,467,900.00 रुपये चौदह लाख सड़सठ हजार नौ सैं
6	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58653	LDGFOR001 S.R.NATESHA DIV.FOREST OFFICER	1,467,900.00 रुपये चौदह लाख सड़सठ हजार नौ सैं
7	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58654	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	1,538,200.00 रुपये पंद्रह लाख अडतीस हजार दो सैं

योग: 5,162,100.00

क्रमिक योग: रुपये अठ्यासी लाख इकतीस हजार नौ सैं 8,831,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58655	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	1,146,800.00 रुपये ग्यारह लाख छयालीस हजार आठ सैं
9	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58656	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	5,261,000.00 रुपये बावन लाख इकसठ हजार
10	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58657	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,605,600.00 रुपये सोलह लाख पाँच हजार छः सैं
11	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58658	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,802,300.00 रुपये अडतालीस लाख दो हजार तीन सैं

योग:		12,815,700.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड सोलह लाख सैतालीस हजार छः सौ	21,647,600.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58659	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,834,900.00 रुपये अठारह लाख चौतीस हजार नौ सैं
13	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58660	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,834,900.00 रुपये अठारह लाख चौतीस हजार नौ सैं
14	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58661	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	917,500.00 रुपये नौ लाख सत्रह हजार पाँच सैं
15	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58662	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	917,500.00 रुपये नौ लाख सत्रह हजार पाँच सैं

योग:	5,504,800.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड इकहत्तर लाख बावन हजार चार सौ 27,152,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58663	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	458,700.00 रुपये चार लाख अठ्ठावन हजार सात सैं
17	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58664	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	2,752,400.00 रुपये सत्ताइस लाख बावन हजार चार सैं
18	P 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	58665	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	1,376,200.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार दो सैं
19	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58683	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	567,600.00 रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार छः सैं

योग: 5,154,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तेइस लाख सात हजार तीन सैं 32,307,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58691	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,135,200.00 रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार दो सैं 
21	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58692	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,324,400.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार चार सैं 
22	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58693	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	567,600.00 रुपये पॉच लाख सड़सठ हजार छः सैं 
23	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58694	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	1,210,900.00 रुपये बारह लाख दस हजार नौ सैं 

योग: 4,238,100.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पैंसठ लाख पैंतालीस हजार चार सैं 36,545,400.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58695	LDGFOR001 S.R.NATESHA DIV.FOREST OFFICER	1,210,900.00 रुपये बारह लाख दस हजार नौ सैं
25	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58696	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	1,268,700.00 रुपये बारह लाख अडसठ हजार सात सैं
26	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58698	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	946,000.00 रुपये नौ लाख छयालीस हजार
27	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58699	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	4,403,100.00 रुपये चवालीस लाख तीन हजार एक सैं

योग: 7,828,700.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड तीरयालीस लाख चौहत्तर हजार एक सैं 44,374,100.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHARY)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58700	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,324,400.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार चार सैं
29	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58702	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,024,700.00 रुपये चालीस लाख चौइस हजार सात सैं
30	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58703	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,513,600.00 रुपये पंद्रह लाख तेरह हजार छः सैं
31	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58704	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,513,600.00 रुपये पंद्रह लाख तेरह हजार छः सैं

योग: 8,376,300.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड सत्ताइस लाख पचास हजार चार सौ 52,750,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58705	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	756,800.00 रुपये सात लाख छप्पन हजार आठ सैं
33	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58706	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	756,800.00 रुपये सात लाख छप्पन हजार आठ सैं
34	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58707	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	378,400.00 रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार चार सैं
35	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58708	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	2,270,400.00 रुपये बाइस लाख सत्तर हजार चार सैं

योग:

4,162,400.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड उनहत्तर लाख बारह हजार आठ सैं

56,912,800.00

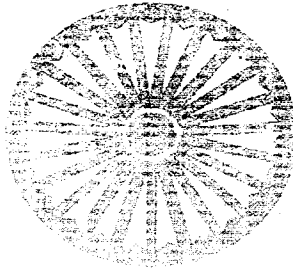
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-12/2015/1460

दिनांक - 25-Nov-2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58710	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	1,135,200.00 रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार दो सैं



योग: 1,135,200.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड अस्सी लाख अडतालीस हजार 58,048,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHARY IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND